भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2756

17 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

प्रत्येक एफपीएस को कम से कम लाभार्थियों को जोड़ना

2756. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राज्य सरकारों को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) से जुड़े न्यूनतम लाभार्थियों का आकलन और निर्धारण करने के लिए निर्देशित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इसकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में मौजूदा दुकानों की व्यवहार्यता का आकलन किए बिना ही नई उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार राज्यों को नई दुकानों के लाइसेंस देने से पहले मौजूदा उचित मूल्य दुकानों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव करती है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में, उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाइसेंस जारी करने, उचित दर दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी करने आदि सहित परिचालन संबंधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है।

टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (5) के अनुसार, उचित दर दुकान की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए उचित दर दुकान के डीलरों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

इसके अलावा, टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (6) के अनुसार, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उचित दर दुकानों से जुड़े राशन कार्ड धारकों की संख्या स्वीकार्य हो, उचित दर दुकान इस प्रकार स्थित हो कि उपभोक्ता या राशन कार्ड धारक को उचित दर दुकान तक पहुंचने में कठिनाई का सामना न करना पड़े और पहाड़ी, रेगिस्तान, आदिवासी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां तक पहुँचना मुश्किल है, उचित कवरेज सुनिश्चित की जाए।
